भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1436
उत्तर देने की तारीख 12 दिसंबर, 2023
21 अग्रहायण, 1945 (शक)

ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में खेल सुविधाएं

1436. श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:
डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में खेलों के प्रति युवाओं का झुकाव बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर ही प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी तैयार करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में नवीनतम खेल सुविधाओं वाले स्टेडियमों का निर्माण करने और पहले से मौजूद स्टेडियमों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तत्संबंधी राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उन्हें महाराष्ट्र, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश में स्कूली छात्रों की प्रतिभा की पहचान करने और उन्हें उपयुक्त अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सरकार की भावी योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले सकें; और

(ङ) क्या सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित देश में राज्य-वार कोई समर्पित खेल सुविधा स्थापित करने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख) : जी नहीं । 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण प्रत्येक जिले में स्टेडियम बनाने और पहले से मौजूद स्टेडियमों में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों का होता है । केंद्र सरकार उनके प्रयासों में सहायता करती है । तथापि, इस मंत्रालय ने राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर देशभर में विभिन्न श्रेणियों की 340 खेल अवसंरचना परियोजनाओं (30.11.2023 तक) को संस्वीकृत किया है ।

(ग) खेलो इंडिया स्कीम का "ग्रामीण और देशज/जनजातीय खेलों का संवर्धन" नामक एक उप-घटक विशेष रूप से देश में पारंपरिक खेलों के विकास के लिए है । इस मंत्रालय द्वारा खेलो इंडिया स्कीम के तहत संवर्धन के लिए मलखंभ, क्लारिपयाट्टू, गतका, थांग-टा, योगासन और सिलंबम के देशज/पारंपरिक खेल विधाओं की पहचान की गई है ।

(घ) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के 90 विस्तार केंद्र हैं, जिनमें से अधिकांश देशभर के स्कूलों में कार्यरत हैं । साई खेल संवर्धन स्कीम के तहत लगभग सभी एथलीट स्कूल/कॉलेज जाने वाले छात्र हैं जिन्हें स्कूल/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । संबंधित स्कीम के मानदंडों के अनुसार उनके शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है । इसके अलावा, इस मंत्रालय ने खेलो इंडिया स्कीम के खेलो इंडिया केंद्रों/ खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता स्कीम केंद्र के तहत 09 स्कूलों, 18 सेना बाल खेल कंपनियों, 02 सेना बालिका खेल कंपनियों, 01 नेवी बाल खेल कंपनी, 01 एयरफोर्स बॉयज़ स्क्वाड्रन और 03 खेल स्कूलों (02 केंद्रीय विद्यालय और 01 असम राइफल पब्लिक स्कूल) को अपनाया है । इसके अलावा, साई की राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता स्कीम के अंतर्गत 09 स्कूल शामिल हैं । इसके अलावा, खेलो इंडिया स्कीम के तहत इस मंत्रालय ने देश में युवा प्रतिभाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन और खेलो इंडिया एथलीटों के रूप में युवा प्रतिभाओं की पहचान और उनका प्रशिक्षण, स्कूली बच्चों की फिटनेस का आकलन आदि जैसी कई पहले की हैं ।

(ङ) इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

****